न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/15 निर्णय दिनांकः 09–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2015/00291)

1. करणाराम पुत्र पेमाराम जाति राईका निवासी तंवरवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–12–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 26–12–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का बालिग पुत्र आवंटन प्रार्थना पत्र अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन ना कर अन्य भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता पेमाराम के नाम से वाके रोही तंवरवाला के खेत खसरा नम्बर 62/3 में 43 बीघा बारानी भूमि टीसी आवंटन थी। उक्त भूमि चकबन्दी के पश्चात् चक 7 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 में किला नम्र 2 ता 5, 14 ता 18 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 165/64 के किला नम्बर 1 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 165/63 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के रूप में वेमूद हुई। अपीलांट के पिता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13–08–2007 को अपीलांट के पिता के नाम चक 7

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 के किला नम्बर 2 ता 5 में 4 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 165/63 के किला नम्बर 7 ता 9, 11 ता 14, 15 ता 25 में 18 बीघा कमाण्ड कुल 22 बीघा भूमि आरजी काश्त से पुख्ता आवंटित कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अधिशेष की गई के बालिग पुत्र की हैसयित से टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र पर ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं है। जबकि विधिक रूप से अपीलांट को उसके पिता के धारण की अधिशेष भूमि का ही आवंटन किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने ढंग से विधि के विरूद्व जाकर कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जॉच नहीं की गई। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 10—10—11 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नियमानुसार उनके पिता की अधिशेष भूमि आवंटित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उसके मनमुताबिक भूमि आवंटित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 10–10–2011 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अदालत मातहत के सक्षम अपीलांट द्वारा उसके पिता को टीसी में आवंटित भूमि में अधिशेष भूमि के आवंटन हेतु बतौर बालिग पुत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके व वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर से चकों में परिवर्तित होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए अपीलांट को बालिग पुत्र की हैसियत से चक 7 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 में अधिशेष भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया जा चुका है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का कब्जा मुरब्बा नम्बर 165/63 व मुरब्बा नम्बर 165/64 पर होने से उक्त भूमि का आवंटन बतौर बालिग पुत्र किया जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि पूर्व में अपीलांट के पिता को वादग्रस्त भूमि का टीसी आवंटन किया खसरा नम्बर 62/3 में 43 बीघा भूमि का किया गया था, तथा उक्त रकबा चकों में परिवर्तित होने पर मुरब्बा नम्बर 165/56, 165/64 व मुरब्बा नम्बर 165/63 के रूप में पैमूद हुआ है। अदालत मातहत द्वारा उन्हीं मुरब्बों की अधिशेष भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर बालिग पुत्र किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का आवंटन नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व मौके की रिपोर्ट व तथ्यों की जॉच के उपरान्त ही आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट को उसके पिता की अधिशेष भूमि का आवंटन विधि सम्मत तरीके से किया गया है। ऐसीस्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता अपील के स्तर पर किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

8. अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2008 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.07 17:48:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: